

न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष सं०-14 बरेली।
सिविल मिस. अपील सं०-121/2019
सुरेश चन्द्र बनाम विमला देवी

दिनांक-13.09.2021

वाद पुकारा गया। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं। न्याय हित में एक अवसर प्रदान किया जाता है। लंच बाद पुनः पेश हो। न्यायहित में एक अवसर प्रदान किया जाता है। वाद पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश लंचोपरांत पेश हो।

अपर जिला जज, कक्ष संख्या 14 बरेली।

लंच बाद-

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पक्षकारों की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण वाद संख्या 121/19 पक्षकारों की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 3 सी०पी०सी० के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है।
जाता है। वाद पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाए।

अपर जिला जज,
कक्ष संख्या 14 बरेली